न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 43/2022 G.C.M.S. No. 2022/330 दर्ज दिनांक : 23.12.2022

अपीलार्थिगण:

1. तीजो देवी पत्नी शंकरलाल, जाति माली, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रमेश कुमार पुत्र सवाजी, जाति माली, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर
2. नगर पालिका भीनमाल जरिए अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल
3. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2019 बअनवान रमेश कुमार बनाम तीजो देवी में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री ईशरार खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री तारीफ अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2019 बअनवान रमेश कुमार बनाम तीजो देवी में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा एक वाद सरहद मौजा भीनमाल ए के खसरा नम्बर—2058/7244 रकबा 0.11 हैक्टर में बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक—05.09.2019 को सहायक कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में पेश किया था जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारी की गयी हैं, परन्तु अपीलान्ट द्वारा जब उक्त वाद के संबंध में जानकारी होने पर प्रतिवादीया (अपीलान्ट) ने इसके संबंध में अपने अधिवक्ता को तमाम दस्तावेज सुपुर्द किये तथा बंटवाडा बाबत् जवाब पेश करने हेतु जवाब प्रस्तुत किया। उसके उपरांत अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा समय पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जिस पर न्यायालय द्वारा जवाब बन्द कर दिया गया एवं विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 20.01.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी जिसमें अपीलान्ट के गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। प्राथमिक डिक्री की पालना में मौका रिपोर्ट मोके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की सूचना प्रतिवादी सं. 1/अपीलान्ट को नहीं दी गयी एवं रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गयी है। वादग्रस्त भूमि का जो हिस्सा वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पक्ष में बताया गया है. उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1/अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। उसके उपरांत भी मातहत अदालत ने उक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं करते हुए प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 को पारित की गयी। उक्त प्राथमिक डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई क्योंकि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को उक्त प्राथमिक डिक्री की जानकारी नहीं दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट से जवाब तलब किये जो प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 जारी किया गया है। अपीलान्ट को उसके अधिवक्ता द्वारा दावे का जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अपीलान्ट का जवाब रेकर्ड पर नहीं आया। प्राथमिकी डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलान्ट की बिना मौजूदगी की मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में सुपुर्द की गयी जिसके आधार पर प्राथमिकी डिक्री जारी की गयी। तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति के मध्यनजर रखते हुए उक्त बंटवाडा नहीं किया गया हैं। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के बीच में पूर्व में मौखिक बंटवाडा हो चुका है एवं उसी के अनुसार बंटवाडा किया गया था जबकि तहसीलदार द्वारा अपने पक्षकार यानी रेस्पोडेन्ट सख्या–1 को फायदा पहुंचाने की गरज रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से सांठगांठ कर अपीलान्ट के रहवासीय मकान में हिस्सा करते हुए बंटवाडा किया गया हैं। लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत वाद में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 को खारिज फरमाकर अपीलान्ट के हक में उक्त वाद में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य सबूत पेश करने एवं वाद के विचारण करने का अवसर प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 19.12.2022 को दीर्घ विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. विंलबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनाक 20.01.2020 को पारित की गयी हैं जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28.11.2022 को तब हुई जब तहसीलदार अपने कर्मचारियों व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के साथ मौके पर आये एवं अपीलान्ट के मकान का नाप चौक करने लगे जिस पर अपीलान्ट ने विरोध किया एवं पूछा कि बिना किसी बंटवाडा आदेश के आप क्यों यहां नाप तोल कर रहें हो तब रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–1 ने कहा कि न्यायालय ने मेरे हक में प्राथमिक डिक्री दिनाक 20.01.2020 को पारित कर दी है जिससे अब मैं हर हाल में बंटवाडा करवा कर रहूंगा। जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक– 20.01.2020 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक–28.11.2022 को किया जो नकल दिनांक 29.11.2022 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 से अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्दर म्याद पेश हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2020 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.12.2022 को प्रस्तुत की गई। जो लगभग 1064 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2020 को पारित की गई थीं। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। जिनके द्वारा पैरवी की जा रही थीं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित प्रकरण की आरंभ से ही बखूबी जानकारी व संज्ञान था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित की गई हैं। अतः अपीलांट्स का यह कथन आधारहीन, काल्पनिक व अविश्वसनीय है कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं। अतः अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की बखूबी जानकारी थीं।

5. अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व उज्र के समर्थन में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा महज मौखिक कथन करते हुए विलंब के रूप में दर्शित कारण काल्पनिक रूप से अंकित किए हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधिविरूद्ध या आरंभतः शून्य प्रकरण भी नहीं माना जा सकता।

6. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn around and say that no prejudice would be

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

7. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **1064 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **1064 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner